

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 21.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Venkatesh Netha Borlakunta** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 398 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	MARELLY VISHAL REDDY	SH. VIJAYAPAL REDDY MOB- 9505556959	1	NTPC RAMAGUNDAM
2	KUNDARAPU VINSITHA	SH. SATISH MOB- 9000082821	1	MANCHERIAL
3	KUNTA HAVISHMA HEMNE	SH. RAJESH MOB- 9347645001	4	NTPC RAMAGUNDAM
4	BOLISHETTI SRIHARSHITHA	SH. B. LAXMAN MOB- 9959455828	6	MANCHERIAL
5	ARNE SAI DEEKSHITH	SH. SATISH KUMAR MOB- 9989112876	3	MANCHERIAL
6	RODDA YASHASRI	SH. MOHAN MOB- 9059850984	5	MANCHERIAL
7	ARIKE CHITRA	SH. A. SANTOSH MOB- 9000314454	1	NTPC RAMAGUNDAM
8	EKSHITA BORLAKUNTA	SH. SRINIVAS. B MOB- 9966404045	7	MANCHERIAL
9	KOMURAVELLI AKSHAYA	SH. K. SRINIVAS MOB- 9866276078	5	NTPC RAMAGUNDAM
10	AKKINAPPELLY YATHEESHWAR SAI	SH. RAJENDRA PRASAD MOB- 9505099250	1	MANCHERIAL

पिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पि या ठाकुर
21/8/XX
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Venkatesh Netha Borlakunta माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)